

न्यायालय: सिविल जज (जू0 डि0), बिसौली, जनपद बदायूँ।

UPBN120027812022



Presented on : 14-10-2022
Registered on : 17-10-2022
Decided on : 01-02-2025
Duration : 2 years, 3 months, 18 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Jr. Div. Bisauli, Budaun
AT BISAULI, Budaun
(Presided Over by SHRI PANKAJ KUMAR PANDEY)

Civil Suit/451/2022

कुंदन सिंह बनाम नेकराम आदि।

दिनांक 01-02-2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण हेतु नियत चली आ रही है, परन्तु उभयपक्ष लगातार विगत काफी तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 5 ग उभयपक्ष द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली लन्च वाद पुनः पेश हो।

(पंकज कुमार पाण्डेय)
सिविल जज जू०डि०,
बिसौली, जनपद बदायूँ।
J.O.CODE.UP3337

लन्च वाद

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। उभयपक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्ष की रुचि वाद को आगे चलाने में नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर/अभिलेखागार हो।

(पंकज कुमार पाण्डेय)
सिविल जज जू०डि०,
बिसौली, जनपद बदायूँ।
J.O.CODE.UP3337

न्यायालय: सिविल जज (जू0 डि0), बिसौली, जनपद बदायूँ।

मूल वाद सं0 79 वर्ष-2022

मुहम्मद शकील आदि

बनाम वशीर अहमद आदि।

दिनांक 03-01-2025

1. पत्रावली प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण हेतु नियत चली आ रही है, परन्तु उभयपक्ष लगातार विगत काफी तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 5 ग उभयपक्ष द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 08-01-2025 को पेश हो।

(पंकज कुमार पाण्डेय)

सिविल जज जू0 डि0

बिसौली, जनपद बदायूँ।

न्यायालय: सिविल जज (जू0 डि0), बिसौली, जनपद बदायूँ।

मूल वाद सं0 38 वर्ष-2022

रूम सिंह आदि बनाम वीरेन्द्र।

दिनांक 03-01-2025

2. पत्रावली प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण हेतु नियत चली आ रही है, परन्तु उभयपक्ष लगातार विगत काफी तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 5 ग उभयपक्ष द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 08-01-2025 को पेश हो।

(पंकज कुमार पाण्डेय)

सिविल जज जू0 डि0

बिसौली, जनपद बदायूँ।

न्यायालय: सिविल जज (जू0 डि0), बिसौली, जनपद बदायूँ।
मूल वाद सं0 186 वर्ष-2017

जानकी बनाम रामौतार आदि।

दिनांक 24-12-2024

3. पत्रावली प्रार्थना पत्र 5 ग के निस्तारण हेतु नियत चली आ रही है, परन्तु उभयपक्ष लगातार विगत काफी तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र ५ग के निस्तारण पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र ५ग उभयपक्ष द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(पंकज कुमार पाण्डेय)
सिविल जज जू0 डि0
बिसौली, जनपद बदायूँ।

वादीगण द्वारा अपने समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएँ दाखिल की गयी हैं:-

- 1- 2002 C.L.J. (S.C) Secial leave Petition no.1969 of 2002 Gurbaz Singh-Petitioner Vs Kartar Singh & others.
- 2- 2002 C.L.J. (S.C) R.C. Lahoti and Brijesh Kumar jj Civil Appele no.1187 of 2002 Mam Chand Pal Vs Santi Agarawal.
- 3- (Allahabad high Court) 2nd Appeal No.381 of 1998 ABDUL RAUF KHAN Vs ABDUL SAMSAD.

मेरे द्वारा पक्षकारों द्वारा दाखिल विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया। अस्थाई निशेधाज्ञा का व्यादेश जारी करते समय निम्न तत्वों पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

प्रथम दृष्टया वाद

जहाँ तक प्रश्न प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में होने का कथन है वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादीगण विवादित भूमि गाटा सं0-भूमि गाटा सं0-194 रकवा 0.117 है0, 691 रकवा 0.189 है0 व 706 रकवा 0.253 है0 व 703 रकवा 0.252 है0 व 359 रकवा 0.120 है0 व 192 रकवा 0.118 है0, 690 रकवा 0.270 है0 व गाटा सं0-193 रकवा 0.118 है0, 579 रकवा 0.206 है0 व 785 रकवा 07180 है0, जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1 भूमि संक्रमणीय दर्ज है, जो स्थित ग्राम मुहब्बेअलीपर चिचेकटा परगना इस्लामनगर तहसील बिसौली, जिला बदायूँ में स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं। प्रतिवादीगण वादीगण की उपरोक्त भूमि को बिना बंटवारा कर विक्रय करना चाहते हैं जो कि विधिक कृत्य नहीं है। वादीगण का उक्त विवादित सम्पत्ति कृषि भूमि पर शान्तिपूर्ण कब्जा है तथा अपने कृषि कार्य में इस्तेमाल में लाते रहते हैं। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि सम्पत्ति कृष को बिना वादीगण की सहमति से वादीगण के अंश को भी विक्रय कर जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं। वादीगण बहुत ही सीधे-साधे सज्जन लोग हैं तथा कानून पर पूरी आस्था रखते हैं। प्रतिवादीगण की बुरी नियत है जो वादीगण की सम्पत्ति पर स्वयं दबंगई व हेकड़ी के बल परिवादीगण के अंश को हासिल करना चाहते हैं और आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण को ऐलानिया कह रहे हैं कि तुम्हें इस विवादित कृषि भूमि से बेदखल करके ही दम लेंगे। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण बहुत ही चालाक व बदमाश किस्म के लोग तथा गांव के उक्त प्रतिवादीगण का आतंक व्याप्त है। जबकि वादीगण बहुत ही सीधे सज्जन लोग हैं। वादका कारण दिनांक 20-10-2023 को प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त भूमि कृषि को विक्रय करने की कोशिश की तथा वादीगण द्वारा उन्हें रोकने पर उत्पन्न हुआ है।

1-पत्रावली के अवलोकन से तथा समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष सहखातेदार हैं तथा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०-19 ग/8 इकरारनामा द्वारा वादी दाखिल किया गया है, जिसमें कुछ प्रतिवादी द्वारा कागज सं०-19 ग में भूमि गाटा सं०-----के विक्रय से सम्बंधित इकरारनामा किया गया है, इनके आधार पर प्रथमदृष्ट्या वाद बनता प्रतीत होता है।

2- सुविधा का संतुलन

वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा 1 में यह स्पष्ट कथन किया है कि दोनों पक्ष सहखातेदार हैं तथा दोनों पक्षों के बीच कोई बँटवारा नहीं हुआ है। वादी द्वारा पत्रावली पर कोर्ट भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी द्वारा बँटवारे का कोर्ट प्रयास किया गया है। वादी के द्वारा बँटवारे से सम्बंधित कोई भी वाद दायर नहीं किया गया है।

---खसरा के रूप में वादी का नाम अंकित है। अभी प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय नहीं किया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रतिवादीगण भूमि को बिना बँटवारा कराये विक्रय करने का प्रयास कर रहे हों। अतः सुविधा का संतुलन दोनों पक्षकारों को है।

रूलिंग- श्रीमती शहनाज/जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर निर्णीत तिथि 07-02-2023 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये हैं कि स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश सह खातेदारों के बीच नहीं दिया जा सकता है।

बच्चन सिंह बनाम स्वरन सिंह 2000(3)RCR (Civil)70

उक्त विधि व्यवस्था ने भी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी समर्थन किया है।

2-अपूर्णनीय क्षति

वादी द्वारा यह वाद अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है। वादी ने स्वयं अपने वाद पत्र के पैरा नं०-2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके बीच किसी भी प्रकार का कोर्ट बँटवारा नहीं हुआ है। वादी द्वारा कोई भी मानचित्र, नक्शानजरी, राजस्व मानचित्र दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त भूमि में उक्त गाटा संख्याओं में उसका हिस्सा किस तरफ है। वादीगण ने अपने भाग की चौहददी भी स्पष्ट की है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि से नहीं की जा सकती है। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी० पी० सी० में स्पष्ट -----तीनों शर्तें प्रथम दृष्ट्या का वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति वादी के पक्ष में है। परन्तु उपरोक्त विप्लेषण से यह विदित होता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला है कि परन्तु सुविधा का संतुलन वादी के हक में नहीं है तथा प्रतिवादीगण के उक्त कार्य से वादी को कोई भी अपूर्णनीय क्षति नहीं हो रही है। अतः वादी द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र 5 ग निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र 5 ग निरस्त किया जाता है।

1455 मि०/.046, 1459 मि०/.059, 1481 मि०/.035, 1483 मि०/.035, 1487 मि०/.076, 1487 मि०/.025 स्थित मौ० इस्लामनगर परगना इस्लामनगर, तह 0 बिल्सी जिला बदायूँ के अपने-अपने भागनुसार मालिक व काविज हैं। विवादित भूमि सह खातेदार फरमान खाँ पुत्र उसमान खाँ का सम्पूर्ण अंश 1/6 सहवादी 3 व 7 ने 3-06-2016 व 17-07-2016 को खरीदकर उससे उसके भाग पर कब्जा प्राप्त किया। विवादित भूमि गाटा सं०-1459 मि०/0.59 व गाटा सं०-1478 मि०/.019 है० में का रहीस व जमील पुत्रगण स्व० नौशे शाह व नदीम, फईम, नईम, वसीम पुत्रगण स्व० खलील पौना स्व० नौशे शाह श्रीमती शमीम पत्नी स्व० खलील का सम्पूर्ण अंश द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांकित 28-09-2016 को खरीदकर विक्रेतागण से सह वादी 1, 3 व 6 ने कब्जा प्राप्त किया। वादिनी सं०-4 श्रीमती रिहाना वेगम ने प्रतिवादी सं०-1 संजीव कुमार जो विवादित भूमि का सहखातेदार था। उसका विवादित भूमि गाटा सं०-1459 मि०/.059, 1478 मि०/.019, 1481 मि०/.035, 1483 मि०/.035, 1487 मि०/.076 में का सम्पूर्ण अंश 1/12 द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 03-01-2018 को क्रय कर उससे उसके अंश पर कब्जा प्राप्त किया। विवादित भूमि गाटा सं०-1487 मि०/.025 में से पूरब-पश्चिम 15 फिट, उत्तर-दक्षिण 15 फिट परिमाण का प्लॉट द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 28-09-2016 को खरीदकर क्रय की गयी। उक्त विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त किया। क्रय रहीश व जमील पुत्रगण नौशे व नदीम, वसीम, फईम, नईम पुत्रगण खलील व शमीम पत्नी खलील से किया। विवादित भूमि गाटा सं०-1487 मि०/.025 में का शेष क्षेत्रफल 202.32 वर्गमीटर विक्रेतागण रईश, जमील पुत्रगण स्व० नौशे शाह, नदीम, नईम, फईम व वसीम पुत्रगण स्व० खलील व श्रीमती शमीम पत्नी स्व० खलील से सह वादिनी नं०-2 व 5 ने द्वारा पंजीकृत बैनामा खरीदकर उस पर कब्जा प्राप्त किया। आज तक स्वामित्व व कब्जा कायम है। वादीगण का प्रति उत्तर 19 ग 2 इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण का वाद कौन से झूठे तथ्यों पर दायर किया है। अतिरिक्त कथन में लिखित मद सं०-19 द नं०-18 की पुनरावृत्ति है। प्रतिवादीगण जबावदावा क्रेतागण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से तथ्यों को छिपाकर दावा दायर किया है तथा दावा वादीगण सत्य एवं वास्तविक तथा स्पष्ट तथ्यों तथा वैध दस्तावेजों के आधार पर दायर किया गया है। प्रतिवादी नं०-1 संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र किशनलाल ने विवादित भूमि गाटा सं०-1459 मि०/.042, 1481 मि०/.035, 1483 मि०/.035, 1478 मि०.209 है० कुल 4 किता कुल रकवा .321 है० का अपना 1/12 भाग सम्पूर्ण .036 है० अंश का विक्रय वादी नं०-4 ने दिनांक 09-01-2018 को द्वारा पंजीकृत बैनामा खरीदा व कब्जा प्राप्त किया। बैनामा सब रजि० कार्यालय बिल्सी में वही नं०-1 जिल्द 3417 पृष्ठ सं०-103/150 पर क्रम सं०-199 पर दिनांक 09-02-2018 को पंजीकृत है। विवादित भूमि गाटा सं०-1487 मि०/.025 में से उसके स्वामी रई, जमील पुत्रगण नौशे व नदीम पुत्र खलील व

फईम, ईम, वसीम आयु क्रमशः 14, 12, 10 पुत्रगण खलील संरक्षिका शमीश वेगम माता सगी व शमीम वेगम पत्नी स्व 0 खलील से 15x15 परिमाण का प्लॉट दिनांक 28-09-2016 को खरीदा व कब्जा प्राप्त किया। बैनामा सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिल्सी में वही नं0-1 जिल्द नं0-3073 पृष्ठ 41 से 74 पर क्रमांक 5756 पर दिनांक 28-09-2016 को पंजीकृत है। वादी सं0-2 व 5 श्रीमती नाजिश व श्रीमती नफीसा वेगम ने भूमि गाटा सं0-1487 मि0/.025 में से 202.32 वर्ग मी0 का प्लॉट उसके स्वामी रईश व जमील पुत्रगण स्व 0 नौशे शाह व नदीम पुत्र स्व 0 खलील व फईम, नईम व वसीम पुत्रगण स्व. खलील संरक्षिका शमीम वेगम माता सगी व शमीश पत्नी स्व 0 खलील से दिनांक 28-09-2016 को खरीदा व कब्जा प्राप्त किया। बैनामा सब रजिस्ट्रार कार्यालय बिल्सी में वही नं0-1 जिल्द नं0-3073 पृष्ठ सं0-1/154 पर दिनांक 28-09-2016 को पंजीकृत है। वादी नं0-4 रिहाना वेगम ने प्रतिवादी संजीव कुमार से गाटा सं0-1487 मि0/1076 में उसके सम्पूर्ण अंश 1/12 यानि की 65.2 वर्ग मी0 दिनांक 03-01-2018 को द्वारा पंजीकृत बैनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। वादी 3 व 7 ने विवादित भूमि में के फरमान पुत्र उस्मान खाँ 1/6 अंश सम्पूर्ण को द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 03-06-2016 व 17-07-2016 को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर खरीदा व कब्जा प्राप्त किया। वादी 1 व 3 तथा 6 ने विवादित भूमि गाटा सं0-1459 मि0/.59 व 1478 मि0/.019 है0 में का रईश व जमील पुत्रगण नौशे शाह, नदीम पुत्र खलील व फईम, नईम व वसीम आयु क्रमशः 14, 12, 10 साल संरक्षिका शमीम माता सगी व शमीम पत्नी स्व 0 खलील का सम्पूर्ण अंश द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 28-09-2016 को खरीदा व कब्जा प्राप्त किया। विवादित भूमि में हफीज पुत्र घासी व जमील व शकील पुत्रगण वहीद के अंश को प्रतिवादी नं0-1 ने खरीदा उसके अंश की वादी नं0-6 ने खरीदा व कब्जा प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि हफीज व जमील व शकील के पिता विवादित भूमि में नौशे पुत्र फुन्दन की भांति सहखातेदार थे। वादी रज्जन ने द्वारा बैनामा दिनांक 07-11-2000 को प्रतिवादी सं0-1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में वहीं नं0-1 खण्ड 354 के पृष्ठ 155/172 क्रम सं0-4318 पर दिनांक 07.11.2000 को पंजीकृत है। वादीगण ने विवादित भूमि के पंजीकृत बैनामों वाद के समर्थन में दाखिल किये हैं। उक्त दाखिल समस्त बैनामों विक्रेतागण व क्रेतागण के मध्य हुये हैं। वादीगण पंजीकृत बैनामों के आधार पर विवादित भूमि के मासिक व काविज है।

उभयपक्षों के आधार पर पत्रावलित प्रलेखीय प्रपत्रों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि विवादित सम्पत्ति में वादीगण का हित निहित है। ध्यातव्य हो कि प्रथमदृष्टया वाद का मतलब स्वामी का होना नहीं है इस स्तर पर विवादित सम्पत्ति में वादीगण का प्रथमदृष्टया वाद होना पाया जाता है।

अपूर्णनीय क्षति

वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति उनके कब्जे में है तथा यदि विवादित सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त या बिनाश करने, निर्माण करने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी अपनी आपत्ति में कथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति पर वादीगण के द्वारा बनाश या तोड़-फोड़ किया जाता है तो विवादित सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित व संरक्षित नहीं रखा जाता है तो इससे वादी को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। अतः उपरोक्त आधारों पर जहाँ विवादित

सम्पत्ति में उभयपक्षों द्वारा अपना-अपना हित होने का कथन किया गया है तथा वास्तविक स्वामित्व निर्धारित करना इस स्तर पर बिना साक्ष्य के अभाव में संभव नहीं है तथा इस स्तर पर उभयपक्षों का मुख्य उद्देश्य विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित व संरक्षित करने का है तथा बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के विवादित सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने से दानों पक्षों को अपूर्णनीय क्षति हो जाना प्रतीत होता है।

सुविधा का संतुलन

उपरोक्त विवेचना व विप्लेशन से इस स्तर पर वादीगण यह स्थापित करने में सफल रहे हैं कि वह विवादित संपत्ति के मालिक व काबिज हैं। वादीगण द्वारा अपने कथानक में विवादित सम्पत्ति का कब्जा होने का कथन शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आपत्ति में यह कथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण का कब्जा दखल है। इस स्तर पर जहाँ विवादित सम्पत्ति में प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में तय किया जा चुका है। अतः सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में जाता है।

अतः इस स्तर पर वाद के निस्तारण तक मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुये विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित व सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दुर्व्ययित किये जाने, नुकसान पहुँचाये जाने, अन्य संक्रान्त किये जाने, विक्रय किये जाने, हटाये जाने या व्यनित किये जाने से (अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बंध में अन्यथा क्षति पहुँचाने से) और निवारित करने के प्रयोजन सेवा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के सम्बंध में उभयपक्षों को नियत तिथि तक यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 5 ग 2 इस प्रकार

सिविल जज (जू0 डि0)

बिसौली, बदायूँ।